

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/स्थाई/2013/

दिनांक

—: आदेश :—

निम्नांकित चिकित्सा अधिकारी जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से वर्ष 2011 मे चयनित है, को राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 एवं संशोधन दिनांक 03.12.2012, जिसके द्वारा "चिकित्सा अधिकारी को एक वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जायेगा" के अन्तर्गत नियुक्ति पश्चात् 1 वर्ष का परीक्षाकाल (Probation Period) उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को सन्तोषजनक रूप से पूर्ण होने पर सेवा नियम 63 के नियम 30 के तहत एतद्वारा स्थाई किया जाता है :-  
(उक्त संशोधन दिनांक 20.12.2011 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे )

क.स.	नाम अधिकारी	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	चि. अ. के पद पर परीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि
1	डॉ. अनिल कुमार जागिड	20.08.75	09.05.11	19.12.12
2	डॉ. राहुल चन्देल	17.08.78	29.06.11	19.12.12
3	डॉ. बनवारी लाल मीणा	08.06.65	25.04.11	19.12.12
4	डॉ. लोकेश कुमार गुप्ता	29.07.86	03.06.11	19.12.12
5	डॉ. ललित वधावन	17.12.83	09.06.11	19.12.12
6	डॉ. अमित कुमार झालानी	11.07.81	11.04.11	19.12.12
7	डॉ. रामस्वरूप मीणा	01.07.73	06.04.11	19.12.12
8	डॉ. सन्तोष चांदा	22.03.83	08.07.11	19.12.12
9	डॉ. मनीष कुमार मोदी	07.02.83	09.06.11	19.12.12
10	डॉ. श्याम लाल मीणा	11.07.82	16.03.11	19.12.12
11	डॉ. कपिल मीणा	26.10.84	08.08.11	19.12.12
12	डॉ. कविता पन्नीकर	14.03.82	08.04.11	19.12.12

३०  
निदेशक (जन स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर  
कृ. प. उ.


(2)

कमांक: राजपत्रित / डीपीसी / स्थाई / 2013 / 652

दिनांक 6-3-13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी / दौसा।
3. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को अतिरिक्त प्रतियो सहित भेजकर लेख है, कि सम्बन्धित चिकित्सको की पत्रावली मे नस्तीबद्ध होना सुनिश्चित करे।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करे।
6. कार्यालय सहायक, ए.टी. प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
7. आदेश / रक्षित पत्रावली।

  
निदेशक (जन स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर